

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



सत्यमेव जयते

राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 31 ] दिल्ली, अगस्त 28—सितम्बर 3, 2009, बुधस्तिवार/भाद्र 6—भाद्र 12, 1931 [रा.रा.क्षेदि. सं 148, 155, 157 ]  
 No. 31] DELHI, AUGUST 28—SEPTEMBER 3, 2009, THURSDAY/BHADRA 6—BHADRA 12, 1931 [N.C.T.D. No. 148, 155, 157]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 25 अगस्त, 2009

सं. फा.10(783)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/6893.—गृह

मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अपोलो डीकेवी इन्श्योरेंस कम्पनी लि., पहली मंजिल, पियरलेस बिल्डिंग, बी. के. राय कोर्ट, आसफअली रोड, दरियागंज, दिल्ली-110002, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख) जो कि उनके द्वारा जुलाई 2009 से सितम्बर 2009 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा। कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद जो भी पहले हो इस

3193 DG/2009

राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE  
 AUTHORITY  
 ORDERS

Delhi, the 25th August, 2009

F. No.10(783)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6893.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Apollo DKV Insurance Company Limited, 1st Floor, Peerless Building, B.K. Roy Court, Asaf Ali Road, Daryaganj, Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1,00,000 (Rs. One Lac) only in advance chargeable on various policy

(187)

of Insurance to be issued by the said company during the period July, 2009 to September, 2009 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount whichever is earlier.

सं. फा. 10(817)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6922.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रेह रिन्यूएबल एनर्जी प्रा. लि., 28, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली-110021, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 18,19,890 मूल्य के इक्विटी शेयरो जिनकी पृथक संख्या 1,83,336 से 1,84,335 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1820 (रुपये एक हजार आठ सौ बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(817)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6922.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Preah Renewable Energy Private Limited, 28, Sardar Patel Marg, New Delhi-110021 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1820 (Rs. One Thousand Eight Hundred Twenty) only on the aggregate value of shares of Rs. 18,19,890 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,83,336 to 1,84,335 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(746)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6921.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रियो टिन्टो एलकान एक्टिवेटिड एलुमिना इंडिया प्रा. लि., यूनिट नं. 103ए, तीसरी मंजिल, दि कैपिटल कोर्ट, प्लांट नं. एमएस 1 एलएससी, मुनिरका, फेस III, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 22,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरो जिनकी पृथक संख्या 10001 से 2,35,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2250 (रुपये दो हजार दो सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No.10(746)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6921.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the

24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rio Tinto Alcan Activated Alumina India Private Limited, Unit No. 103A, 3rd Floor, The Capital Court, Plot No. MS 1 at LSC, Munirka, Phase III, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs.2250(Rs. Two Thousand Two Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 22,50,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10001 to 2,35,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(816)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6907.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दैनिकी कलर्स इंडिया प्रा. लि., पांचवी मंजिल, लोटस टावर्स, कम्प्यूनिटी सेन्टर, न्यू फ्रन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 9,58,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 16,32,001 से 25,90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 95,800 (रुपये पचानवे हजार आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No.10 (816)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6907.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dainichi Color India Private Limited, 5th Floor, Lotus Towers, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 95,800 (Rs. Ninety Five Thousand Eight Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 9,58,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 16,32,001 to 25,90,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 26 अगस्त, 2009

सं. फा. 10(803)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6925.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पहली मंजिल, बैंक हाऊस, 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 175,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योरड, रिडिमेबल, टियर II बोनडस जो कि (प्रमोजरी नोट) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 0001 से 1750 (सीरीज-XI) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 17,10,000 (रुपये सतरह लाख दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 26th August, 2009

**F. No.10(803)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6925.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab & Sind Bank, First Floor, Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 17,10,000 (Rs. Seventeen Lac Ten Thousand) only on the aggregate value of Rs. 175,00,00,000 for unsecured redeemable tier-II(Series-XI) bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 0001 to 1750 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 ( 827 )/मु. स. ( मुख्या )/स.शु./08/6926.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गुड मोरनिंग इंडिया मिडिया प्रा. लि., 276, पिकाडिली हाऊस, ग्राउंड फ्लोर, कैप्टन गौड़ मार्ग, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 11,54,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 84,60,001 से 2,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,15,400 (रुपये एक लाख पन्द्रह हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No.10(827)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6926.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Good Morning India Media Private Limited, 276, Piccadilly House, Ground Floor, Captain Gaur Marg, Srinivasपुरी, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,15,400 (Rs. One Lac Fifteen Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 11,54,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 84,60,001 to 2,00,00,000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 ( 821 )/मु. स. ( मुख्या )/स.शु./08/6927.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एथेना एनर्जी वेनचर्स प्रा. लि., हॉल नं. 1, पहली मंजिल, एनबीसीसी टावर, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 50,00,00,000

मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19,00,00,001 से 24,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,00,000 (रुपये पांच लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No.10(821)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6927.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Athena Energy Ventures Private Limited, Hall No. 1, 1st Floor, NBCC Tower, 15-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,00,000 (Rs. Five Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 50,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 19,00,00,001 to 24,00,00,000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 ( 785 )/मु. स. ( मुख्या )/स.शु./08/6928.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टीजीएल लोजिस्टिक्स (इंडिया) प्रा. लि., ए-44/बी, ग्राउंड फ्लोर, गली नं. 2, महिपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110037 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 58,03,553 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000001 से 5,35,309 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5804 (रुपये पांच हजार आठ सौ चार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No.10 (785)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6928.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. TGL Logistics (India) Private Limited, A-44/B, Ground Floor, Street No. 2, Mahipalpur Extensions, New Delhi-110037 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5804 (Rs. Five Thousand Eight Hunderd Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 58,03,553 for equity Share certificates with distinctive Nos. 000001 to 5,35,309 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 ( 826 )/मु. स. ( मुख्या )/स.शु./08/6929.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इनफोरमेशन टीवी प्रा. लि., 275, पिकाडिली हाऊस, पहली मंजिल, कैप्टन गौड़ मार्ग,

श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 40,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,00,00,001 से 8,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4,00,000 (रुपये चार लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(826)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6929.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Information TV Private Limited, 275, Piccadilly House, First Floor, Captain Gaur Marg, Srinivaspuri, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,00,000 (Rs. Four Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 40,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 4,00,00,001 to 8,00,00,000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 ( 815 )/मु. स. ( मुख्या )/स.शु./08/6933.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अलीसन ट्रांसमिशन इंडिया प्रा. लि., 202-206 टाल्सटाय हाऊस, 15, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली 110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 15,30,63,250 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,65,45,901 से 3,18,52,225 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,53,064 (रुपये एक लाख तिरपन हजार चौंसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(815)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6933.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Allison Transmission India Private Limited, 202-206, Tolstoy House, 15 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,53,064 (Rs. One Lac Fifty Three Thousand Sixty Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 15,30,63,250 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,65,45,901 to 3,18,52,225 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 ( 822 )/मु. स. ( मुख्या )/स.शु./08/6934.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री

क्यूबीकल फाईनेंसियल सर्विसिस लि., 456, अग्रवाल मैट्रो हाइट्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 10,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 30,34,001 से 1,30,34,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(822)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6934.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cubical Financial Services Limited, 456, Aggarwal Metro heights, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,00,000 (Rs. One Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 30,34,001 to 1,30,34,000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 ( 819 )/मु. स. ( मुख्या )/स.शु./08/6935.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईपीएम इंडिया होल्ससेल ट्रेडिंग प्रा. लि., आठवीं मंजिल, डीएलएफ सेन्टर, ब्लॉक नं. 124, नरेन्द्रा प्लेस, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 19,99,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 2,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,99,900 (रुपये एक लाख नित्यानवे हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(819)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6935.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IPM India Wholesale Trading Private Limited, 8th Floor, DLF Centre, Block No. 124, Narindra Place, Parliament Street, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,99,900 (Rs. One Lac ninety nine thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 19,99,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 2,00,00,000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10 ( 828 )/मु. स. ( मुख्या )/स.शु./08/6936.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,

1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोदी इलवा इंडिया प्रा. लि., 1400, मोदी टावर, 98 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 89,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 9,00,000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 8900 (रुपये आठ हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No.10(828)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6936.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Modi Illva India Private Limited, 1400, Modi Tower, 98, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8900 (Rs. Eight Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 89,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 9,00,000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10(818)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6940.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बरटेक इंडिया प्रा. लि., सी-37, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,32,93,530 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 13,39,353 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 13,294 (रुपये तेरह हजार दो सौ चौरानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No.10(818)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6940.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bartec India Private Limited, C-37, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.13,294 (Rs. Thirteen Thousand Two Hundred Ninety Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,32,93,530 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 1,13,39,353 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10(813)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6941.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के

खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्डो मरक्यूरिया इन्टरनेशनल प्रा. लि., 8-बी, सागर अपार्टमेंट, 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 99,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 10,00,000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9900 (रुपये नौ हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(813)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6941.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Indo Mercuria International Private Limited, 8-B, Sagar Apartments, 6 Tilak Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9900 (Rs. Nine Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 99,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 1,00,00,000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10(744)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6942.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पेरामाउंट सरजिमिड लि., प्लॉट नं. 1 एल.एस. सी. ओखला इन्डस्ट्रियल ऐरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 60,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 85,00,001 से 91,00,000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6000 (रुपये छः हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No.10(744)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6942.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Paramount Surgimind Limited, Plot No. 1, L.S.C., Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6000 (Rs. Six Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 60,00,000 for equity Share certificate with distinctive Nos. 85,00,001 to 91,00,000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10(802)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6943.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,

1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि., उर्जा निधि 1, बाराखंबा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 525,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बॉण्ड्स जो कि डिसेम्बर (2012) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00005250 (सीरीज 56) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(802)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6943.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 525,00,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non-Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures (2012) Series 56 bearing distinctive No. 00000001 to 00005250 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10(820)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6944.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मिनरवा फ्लावर्स एण्ड फ्राग्रेंस प्रा. लि., 1101, इन्द्राप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 66,56,760 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 6,75,676 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6657 (रुपये छः हजार छः सौ सत्तावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10(820)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6944.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Minerva Flavours and Fragrance private Limited, 1101, Indraprakash, 21, Barakhamba Road, new Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6657 (Rs. Six Thousand Six Hundred Fifty Seven) only on the aggregate value of shares of Rs. 66,56,760 for equity Share certificates with distinctive

Nos. 10,001 to 6,75,676 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10(804)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6945.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008, के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रोलिंग कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. एच-65, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 35,40,24,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,00,001 से 4,54,024 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,54,024 (रुपये तीन लाख चत्वन हजार चौबीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के  
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

**F. No.10(804)/COS(HQ)/Cons.Duty/08/6945.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rolling Construction Private Limited, H-65, Connaught Circus, new Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,54,024 (Rs. Three Lac Fifty Four Thousand Twenty Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 35,40,24,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,00,001 to 4,54,024 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue  
Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)